ग्राम पंचायत कौलापुर,विकास खण्ड प्रागपुर,जिला काँगड़ा,हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

भाग–एक

1. प्रस्तावना (क) :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टि गत ग्राम पंचायत कौलापुर, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया । अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमती सुमन वाला	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्रीमती सुमन	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री हरनाम सिंह	1-4-2014 से 1-1-2015
2	श्रीमती रीना रानी	1-1-2015 से 31-3-2017

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का सार</u>:-

ग्राम पंचायत कौलापुर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8	अनुदान का उपयोग न करना	23.46
2	10	निर्माण कार्यों का मुल्यांकन(Assessment) के बिना भुगतान	2.73
3	11	NRHM अनुदान से VHSC को भुगतान की गई की राशि का समायोजन शेष	0.40
4	12	IWMP अनुदान से खंड विकास अधिकारी कार्यालय को वापिस की गई की राशि की रसीद प्राप्त न करना	1.00
5	13	NREGA निर्माण कार्यों से नियमानुसार 15% CONTRACTOR PROFIT तथा OVERHEAD CHARGES की कटौती न करने के फलस्वरूप अधिक भुगतान	0.08

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कौलापुर, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1/4/2014 से

31/03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक30-10-2017 से 2-11-2017 तक ग्राम पंचायत कौलापुर में किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2014-15	3/2015	10/2014
2015-16	3/2016	10/2015
2016-17	7/2016	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत कौलापुर,विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 283/2017 दिनांक 2-11-2017 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत कौलापुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्त्रौत :-**ग्राम पंचायत कौलापुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014-15	250064.84	103947	354011.84	16700	337311.84
2015-16	337311.84	81693	419004.84	23253	395751.84
2016-17	395751.84	153798	549549.84	28680	520869.84

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत कौलापुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014-15	991741	1921884	2913625	1594136	1319489
2015-16	1319489	2227626	3547115	1737994	1809121

2016-17	1809121	2279761.65	4088882.65	1742989.65	2345893

5 **बैंक समाधान विवरणी :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कौलापुर के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों में जमा राशि का अंतर शुन्य था जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

1 रोकड़ वहि खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष ₹520869.84

2 रोकड़ वहि खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹2345893

योग ₹2866762.84

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2017 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था ।

क्र.सं	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1	KCCB RAKKAR	50064635219	25022
2	KCCB RAKKAR	20044011944	2139201.5
3	SBI CHAMUKHA	33172189620	7032
4	SBI CHAMUKHA	11693003181	369652.34
5	SBI CHAMUKHA	331153710	417
6	SBI CHAMUKHA	32189332193	206348
7	SBI CHAMUKHA	32189333594	111861
8	CBI PRAGPUR	2168782163	6862
		Cash in Hand	**367**
		Grand Total	**₹2866762.84**

अन्तर =2866762.84 – 2866762.84 = शून्य

6 **निर्धारित फार्म पर बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

7 **गृहकर का मांग व संगृह रजिस्टर का रख रखाव न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया । अत: गृहकर का

मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

8 **अनुदान ₹23.46 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-**1**) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान **₹2345893** उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

9 **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विन्योज्न की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

10 **निर्माण कार्यों का मुल्यांकन के बिना ₹2.73 लाख का भुगतान :-**

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या **:**एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों का तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की मुल्यांकन के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत **द्वारा ₹273122** का भुगतान मुल्यांकन के बिना किया गया । अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मुल्यांकन के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए ।

बा. सं.	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि**
GENERAL CASH BOOK			
73	10/2015	निर्माण जीप योग्य मार्ग जटोली हैंडपंप से कुरियाल खेड़ खेमराज के घर तक	97175
74	10/2015	निर्माण जीप योग्य मार्ग जटोली हैंडपंप से कुरियाल खेड़ खेमराज के घर तक	44850
75	10/2015	निर्माण जीप योग्य मार्ग जटोली हैंडपंप से कुरियाल	14700

		खेड़ खेमराज के घर तक	
76	10/2015	निर्माण जीप योग्य मार्ग जटोली हैंडपंप से कुरियाल खेड़ खेमराज के घर तक	31950
80	10/2015	निर्माण जीप योग्य मार्ग जटोली हैंडपंप से कुरियाल खेड़ खेमराज के घर तक	28255
IWMP			
NIL	10/2015	निर्माण कुआँ नजदीक नरेश	15080
12	3/2017	निर्माण मुरम्मत कुआँ नजदीक दया राम भूमि	9995
13	3/2017	निर्माण RWHT नजदीक निर्मला देवी का घर	9995
14	3/2017	निर्माण मुरम्मत नजदीक पूर्व चन्द का घर	9188
NIL	3/2017	निर्माण मुरम्मत वावडी नजदीक अशोक कुमार का घर	6120
NIL	3/2017	निर्माण मुरम्मत वावडी नजदीक वाडी कोलापुर	5814
		योग	**₹273122**

11 **NRHM अनुदान से VHSC को भुगतान की गई ₹0.40 लाख का समायोजन न करना :---**

ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान वाउचर संख्या 99 मास 3/2017 के द्वारा NRHM अनुदान से VILLAGE HEALTH SANITATION COMMITTEE को ₹40000 का भुगतान किया गया परन्तु इस राशि का समायोजन नहीं किया गया |अत: राशि का समायोजन शीघ्र किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए |

क्रम संख्या	VHSC का नाम	राशि
1	VHSC NUTRITION COMMITTEE कुरियाल	13334
2	VHSC NUTRITION COMMITTEE जटोली	13333
3	VHSC NUTRITION COMMITTEE कौलापुर	13333
	योग	**₹40000**

12 **IWMP अनुदान से खंड विकास अधिकारी कार्यालय को वापिस की गई ₹1.00 लाख की रसीद प्राप्त न करना :-**

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 29-10-2015 को खंड विकास अधिकारी कार्यालय को प्राप्त अनुदान ₹100000 वापिस लौटाई गई परन्तु खंड विकास अधिकारी कार्यालय से इस राशि की रसीद प्राप्त नहीं की गई जिन्हें अब प्राप्त करके अनुपालना से अवगत करें ।

13 **NREGA निर्माण कार्यों में मजदूरी के रूप में ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान :---**

ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 1-5/2008 (RDD)NREGA(MEETING) 645-747 दिनांक 14-1-2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार "The practice of 15% deduction could however continue in respect of only for such material components where 15% contractor

profit is in built in SOR." जाँच में पाया गया कि मास 3/2017 में मनरेगा निर्माण कार्यों का मूल्याँकन करते समय जो 15% CONTRACTOR PROFIT तथा OVERHEAD CHARGES की कटौती की गई वह labour enhancement में से घटा कर की गई जो कि अनुचित है क्यूंकि 15 % CONTRACTOR PROFIT तथा OVERHEAD CHARGES की कटौती करने के उपरांत ही labour enhancement लगाई जानी थी | अत: मनरेगा निर्माण कार्यों का मूल्याँकन करते समय नियमानुसार 15% CONTRACTOR PROFIT तथा OVERHEAD CHARGES की कटौती न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का मूल्याँकन अधिक दर पर किया जा रहा है जिसके कारण निम्नलिखित मेनरेगा निर्माण कार्यों में ₹8110 का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बंधित से की जाये | **यह मामला विशेष रूप से ग्राम पंचायत के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने हेतु लाया जाता है |**

वाउचर संख्या	मास	निर्माण कार्य का नाम	मापन पुस्तिका संख्या व् पृष्ठ संख्या	निर्माण कार्य की कुल लागत	CONTRACTOR PROFIT तथा OVERHEAD CHARGES की कटौती जो वास्तव में की जानी है	CONTRACTOR PROFIT तथा OVERHEAD CHARGES की कटौती जो की गई है	Labour Enhancement जो दी जानी है	Labour Enhancement जो वास्तव में दी गई है	अंतर (अधिक मूल्याँकन)
16 से 19	3/2017	C/O RWHT लाल चन्द	7085 पृष्ठ संख्या 63	38606.65	(15%) 5791=32815	nil	(70%)= 55785	55% (70% - 15%)= 59840	4055
15से 20,21	3/2017	C/O RWHT महिंदर सिंह	7085 पृष्ठ संख्या 63	38606.65	(15%) 5791=32815	nil	(70%)= 55785	55% (70% - 15%)= 59840	4055
योग									**₹8110**

14 **विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
7	परिसम्पति (assets) रजिस्टर	8	

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

16 **लघु आपति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

---

17 **निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है ।**

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)155 / 2017 खण्ड–1–2960–2963 दिनांक 01.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत कौलापुर, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881